

24-3-2021
8/10/21

राजस्थान - सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात			नं० रजि० मुहा०
				क	ख	योग	
कारा 22	14/2021	15/9 2021	26/10 21				

	ब	बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति	
22 कार	ना	जाट वसुदेव वरुण्डा, पहला ट	
	म	पुत्र नोपाराम प्रहासना सा. वरुण्डा	
(श्री	वकील)	(श्री	वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद



फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी, प्रहलाद पुत्र नोपाराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी किस्म मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954 मु0नं0.14...सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15/09/2021	<p>पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम ललानिया के अप्रार्थीगण बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी गै0मु0 जोहड की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है0 में से 0.253 है0 में ग्वार, प्रहलाद पुत्र नोपाराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है0 में से 0.126 है0 में ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/09/2021 को पेश हो।</p>	<p>15/09/2021</p>
24/9/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गयी रिपोर्ट की प्रमाणों के अभाव में नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/09/2021 को पेश हो।</p>	<p>24/9/21</p>
8/10/2021	<p>पत्रावली पेशी में ली गयी रिपोर्ट की प्रमाणों के अभाव में नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 8/10/2021 को पेश हो।</p>	<p>8/10/2021</p>

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 14

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी, प्रहलाद पुत्र नोपाराम जाति ब्राह्मण

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 26.10.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी गै०मु० जोहड की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.253 है० में ग्वार, 2 प्रहलाद पुत्र नोपाराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० में ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरार को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग रू. 50/- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरार द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 21.10.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली सुरेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 600 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

26.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भूअभिनिरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। सुरेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 600 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 25.10.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी गै०मु० जोहड की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.253 है० में ग्वार, 2 प्रहलाद पुत्र नोपाराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० में ग्वार फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 50 रू० से दण्डित किया जाता है। भूअभिनिरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।


तहसीलदार(राजस्व)
नोहर

३.५.

1170

26/10/21

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 15/सम्बत् 2078 सरकार बनाम खनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट ला. खरखली

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरखली के ख.नं. 191 जे.ह. जोहड़ पर 0.253 ई. अक्षिपट्ट खनवारी की फसल काशत की है।

संवत् 2078 खरीफ फसल काशत कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/9 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्बत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नही अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृषि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नही आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/09/2021 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

31
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
G/C-नोहर

11/10/21
8/10/21

14/21

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : - 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

मोहर के आदेशानुसार अतिकमी श्री बनवारी पुत्र श्री रामचन्द्र वगैरह

जाति फार निवासी खरखंडीकी चल / अवल संपत्ति बनवारी पुत्र रामचन्द्र

ज्जाति फार सा. खरखंडी ख. नं. 191 गं. ड. मोहर पट 0-2536

ववार (2) जह्लाद पुत्र नोपाराम जारि झाल्वा सा. खरखंडी


ख-न-191 गं-ड. पारगाड (फरिड) 0/126 ई ववार की फल्ल को

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति सुर्द बुर्द न करे
अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।


उक्त कुर्क संपत्ति श्री पुत्र श्री जाति

निवासी की सुपुर्दगी में देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति सुर्द बुर्द हो तो

रिपोर्ट करे।


तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

8/10/21


भू0अ0नि0
8-10-2021

मि.न. 14/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/21/980 दिनांक 8/10/2021 की पालना में ग्राम खरसोडी के खसरा नं. 191 की ऊ. भु. जोड़ भूमि में फसल उवार 0.319 हे. नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों 1) बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति

जाट सा. खरसोडी, पहलाक पुत्र गोपाराम जाति ब्राह्मण सा. खरसोडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित वक्तियों ने उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क्र. स.	बोलीदाता	बोली की राशी	
		I	II
1.	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भादराम जाति जाट साकिन खरसोडी	400	(600)
2.	श्री विक्रम पुत्र श्री अर्जुनराम जाति कुहार साकिन खरसोडी	460	
3.	श्री चयनराज पुत्र श्री दुगाराम जाति जाट साकिन खरसोडी	520	
4.	श्री पुत्रा प्र पुत्र श्री मलाराम जाति जाट साकिन खरसोडी	590	

उपरोक्त में श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मलाराम जाति जाट साकिन खरसोडी भादराम की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

21/10/21
श्री. क. नि. पत्राकर
21-10-2021

21/10/2021
राजस्व पञ्चारी
प.म. ललानिया

सुरेश कुमार
H 014

दी. 21/10

श्री. नि. चयनराज
21/10/21



श्री. नि. चयनराज

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ


क्रमांक/राजस्व/2021/ 1170

दिनांक: 26.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 14/2021 में निर्णय दिनांक 26.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी गै०मु० जोहड की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.253 है० में ग्वार, 2 प्रहलाद पुत्र नोपाराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 191 की कुल 1.631 है० में से 0.126 है० में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 50 रुपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर


क्रमांक/राजस्व/2021/ 1170

दिनांक:- 26.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।




तहसीलदार (राजस्व)
नोहर